भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1272
दिनांक 30 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

सिक्किम में आंगनवाड़ी केंद्रों को चिह्नित किया जाना

1272. श्री दोरजी त्शेरिंग लेप्चा :

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत देश में प्रतिवर्ष 10,000 आंगनवाड़ी भवन अर्थात आगामी पांच वर्षों में 50,000 भवन बनाने का निर्णय लिया है;
(ख) क्या सिक्किम में ऐसे आंगनवाड़ी केंद्रों को चिह्नित किया गया है जिनके पास स्वयं के भवन नहीं हैं, तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) सिक्किम में चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या कितनी है और चिह्नित आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा; और
(घ) वर्ष 2023-2024 और वर्ष 2024-2025 में जारी धनराशि का ब्यौरा क्या है और धनराशि के उपयोग तथा सिक्किम में आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की स्थिति क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्य मंत्री

(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) घटक के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2021-22 से देश में प्रति वर्ष 10,000 आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन की दर से पांच वर्षों की अवधि में 50,000 आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन बनाए जाने हैं। एमजीएनआरईजीएस के साथ तालमेल करके आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन का निर्माण के लिए लागत मानदंड को संशोधित कर 12 लाख रुपए प्रति आंगनवाड़ी केंद्र कर दिया गया है। जिसमें 8.00 लाख रुपए एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत, 2.00 लाख रुपए 15वें

वित्त आयोग (या किसी अन्य असंबद्ध निधि) के अंतर्गत और 2.00 लाख रुपए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रति आंगनवाड़ी केंद्र को प्रदान किए जाएंगे, जिसे केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निर्धारित लागत साक्षाकरण अनुपात में साझा किया जाएगा। अभी तक एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत निर्माण के लिए 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को स्वीकृति दी जा चुकी है। पोषण ट्रैकर आंकड़े (दिनांक 30.06.2025 तक) के अनुसार, सिक्किम राज्य में किराए के परिसर में चलने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की जिलेवार संख्या इस प्रकार है:

क्र. सं.	**जिला**	**किराये पर लिया हुआ**
1	गंगटोक	88
2	ग्यालशिंग	16
3	मंगन	21
4	नीमची	53
5	पाकयोंग	24
6	सोरेंग	20
	कुल	**222**

वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के दौरान मनरेगा के अंतर्गत निर्माण के लिए सिक्किम राज्य हेतु कुल 50 आंगनवाड़ी केंद्रों को स्वीकृति दी गई है एवं इसके लिए 90 लाख रुपए की की राशि जारी की गई है।

****